स्पीड पोस्ट

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

सत्यमेव जयते

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/30/2023-2024 **17 जुलाई, 2023**

सेवा में,

श्री विनोद कुमार
मकान न. सी-143, गोकुलपुरी
शाहदरा, दिल्ली-110094

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अपील की सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपके दिनांक 12.07.2023 की आर टी आई आवेदन पत्र इस सचिवालय में 12.07.2023 को प्राप्त हुआ हैं, जिनके साथ दस रूपये का पो॰आ॰सं॰ 57एफ़ 562223, संलग्न कर बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करने हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है। इस कारण यह सचिवालय आपको किसी भी प्रकार कि जानकारी/सूचना दे पाने में असमर्थ है।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)

rticell-vps@nic.in

स्पीड पोस्ट

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

सत्यमेव जयते

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/30/2023-2024 **17 जुलाई, 2023**

सेवा में,

श्री विनोद कुमार
मकान न. सी-143, गोकुलपुरी
शाहदरा, दिल्ली-110094

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अपील की सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपके दिनांक 12.07.2023 की आर टी आई आवेदन पत्र इस सचिवालय में 12.07.2023 को प्राप्त हुआ हैं, जिनके साथ दस रूपये का पो॰आ॰सं॰ 57एफ़ 562223, संलग्न कर बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करने हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है। इस कारण यह सचिवालय आपको किसी भी प्रकार कि जानकारी/सूचना दे पाने में असमर्थ है।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)
rticell-vps@nic.in

दह टका दश टाका ४स रुपिया ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ പത്തു രൂപ दहा रुपये ଦଶ ଟଙ୍କା दस रुपए दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO ______________________

______________________ को

दस रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹10

AT THE POST OFFICE AT ______________________

______________________ के डाकघर में अदा करें।

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

सत्यमेव जयते

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

57F 562223

RTI No. 30

Vice President's Secretariat
Dy. No. 301
Date. 12/7/23
New Delhi

प्रपत्र - एक

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप)

सेवा में,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी,= महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी, माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, भारत गणराज्य, उपराष्ट्रपति भवन भारत सरकार, 6, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली-110011

कार्यालय का पता,=

राज्य का नाम=

कार्यालय का पूरा पता =

विशेष अनुरोध, कृपया उत्तर की प्रतिलिपि ऑफिशल भाषा में ही प्रदान की जाए जो कि हमारी मातृभाषा हिंदी है,

विषय := सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना एवं रिकॉर्ड, विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र,

महोदय,

कृपया मुझे निम्नांकित सूचना एवं रिकॉर्ड प्रदान करने करें, मैं इस मद हेतु रुपये- 10, मूल का भारतीय पोस्टल आर्डर आपके लेखा अधिकारी के नाम सलंगन कर रहा हूं, जिसकी क्रम संख्या 57F562223 है, दिनांक = 6/6/2023 इस प्रकार है, 57F562223

प्रश्न =1, माननीय मत्स्य पालन, पशु पालन एवं डेरी मंत्रालय पशुपालन और डेयरी विभाग कृषि भवन नई दिल्ली,110001, से मिली सूचना के आधार पर, मदर डेयरी फ्रूट वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है! अतः इसके अलावा, एम डी एफ वी पी एल पर आरटीआई अधिनियम की प्रियोज्यता का मुद्दा, एल पी ओ ए, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष लंबित है! 148/2015 और206/2015 जिसमें माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बैच ने आर टी आई अधिनियम को एम डी एफ वी पी एल पर लागू मानते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक = 2/2/2015, के आदेश पर रोक रोक लगा दी है इस लिए, जब तक ! कोई उत्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता या दिया जा सकता है,

17/07/2023

प्रश्न : 2= माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड पर आरटीआई का जवाब ना देने पर आदेश या रोक लगाई है या मदर डेयरी फ्रूट वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड, पर रोक लगाई है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मदर डेयरी फ्रूट वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड पटपड़गंज दिल्ली 92 माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सभी पर प्रतिबंध है या केवल मदर डेयरी फ्रूट वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड का

ही आरटीआई का मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, कृपया इसकी जानकारी मुहैया कराई जाए,

प्रश्न,: 3, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मदर डेयरी फ्रूट वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड, पर आरटीआई का का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय तक कैसे पहुंचा किसने पहुंचाया और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज तक 2015 से लेकर अब तक इस पर से रोक क्यों नहीं हटी या आप हटने नहीं देना चाहते मुख्य कारण क्या रहे जो आज तक संवैधानिक रूप से जन सूचना के अधिकार पर रोक लगा दी गई है या लगवा दी गई है, कृपया इसकी जानकारी मुहैया कराई जाए,

प्रश्न,: 4= एक देश एक कानून एक व्यवस्था किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन पर जन सूचना के अधिकार पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पाबंदी क्यों पाबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है उपस्थित रहेगी, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस पर निर्णय कब तक होगा और निर्णय ना होने की वजह क्या रही हैं, कृपया इसकी जानकारी मुहैया कराई जाए,

प्रश्न,=5 हमारे देश में सामान्य कार्य समान वेतन कानून लागू है या नहीं और भारत की राजधानी दिल्ली राजधानी में इस कानून की अनु पालना होती है या नहीं माननीय श्रम मंत्री जी राजधानी दिल्ली के मेहनतकश गरीब मजदूरों की शिकायतों पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान ना लेना और पीड़ितों को न्याय ना देना या न्याय मिलेगा तो कब तक मिलेगा, किसी भी शिकायत की समय सीमा क्या है कितने समय तक न्याय श्रमिकों को श्रम मंत्रालय देता है, कृपया इसकी जानकारी मुहैया कराएं,

प्रश्न,=6 देश के मेहनतकश मजदूरों की कोई भी मंत्रालय या संबंधित मंत्रालय या संबंधित कार्यालय सबका एक ही प्रारूप क्यों है आपकी शिकायत को संबंधित विभाग में भेजा गया है यह स्थान अंतर की या ट्रांसफर की पॉलिसी इस विभाग से उस विभाग में देने की प्रक्रिया कब तक चलेगी क्या कोई माननीय मंत्री जी या मंत्रालय संबंधित अपनी जिम्मेदारियों से क्यों पल्ला झाड़ते हैं, कृपया जानकारी मुहैया कराएं,

प्रश्न,-7= लंबे समय से हम मेहनतकश मजदूर अपनी आर्थिक पीड़ा से संबंधित, समस्त शासन और प्रशासन को अवगत कराते आ रहे हैं और करा रहे हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड माननीय चेयरमैन जी से कोई न्याय आज तक नहीं, मदर डेयरी पटपड़गंज एमडी साहब से कोई न्याय नहीं, मदर डेयरी पटपड़गंज सीओ साहब से कोई न्याय नहीं, मदर डेयरी पटपड़गंज एचआर हेड के द्वारा भी कोई न्याय नहीं, माननीय सीएम दिल्ली द्वारा कोई न्याय नहीं, माननीय एलजी साहब द्वारा कोई न्याय नहीं, माननीय डीएम द्वारा कोई न्याय नहीं, माननीय चीफ सेक्रेट्री दिल्ली से भी कोई न्याय नहीं, माननीय श्रम मंत्रालय द्वारा कोई न्याय नहीं, माननीय कृषि मंत्रालय द्वारा कोई न्याय नहीं, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोई न्याय नहीं, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा कोई न्याय नहीं, माननीय दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से भी कोई न्याय नहीं, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दे कोई न्याय ने, समाज शासन और प्रशासन से कोई न्याय नहीं, कृपया हमें यह बताया जाए हमें न्याय कहां मिलेगा भारत सरकार न्याय देगी या अन्य किसी और देश की सरकार हमें न्याय देगी हम बहुत दुखी और परेशान हो चुके हैं, कृपया जानकारी मुहैया कराएं,

प्रश्न,-8= किसी भी प्रशासनिक अधिकारी जैसे सचिव, चीफ सेक्रेटरी, पी एस पी ए, जैसे माननीयदीपक शेट्टी जी, माननीयमिस वर्षा जोशी जी, माननीयअल्का उपाध्याय जी, माननीय मंत्री जी, आदि से देश का नागरिक किस प्रकार मिल सकता है या फोन पर किस तरह से बात कर सकता है इसका प्रोटोकॉल क्या है नियम कायदे कानून क्या है, क्या देश का नागरिक फोन पर भी बात करने पर भी किसी आदेश की आवश्यकता होती है, कृपया जानकारी मुहैया कराएं,

प्रश्न,=9, हम मदर डेयरी आर्थिक कर्मचारी पीड़ित संघर्ष समिति, के समस्त सदस्य एवं समस्त परिवार हम और हम से जुड़े लोग हमारे सहपाठी अन्य इत्यादि, हम देश में होने वाले किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं

लेंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, पहले न्याय, फिर मतदान, यह हम सब की प्रतिज्ञा है न्याय नहीं तो मतदान नहीं, समझ शासन और प्रशासन को हम अपनी समस्या और प्रतिज्ञा से अवगत करा चुके हैं और कर रहे हैं, यदि किसी को कोई आपत्ती या परेशानी नहीं होनी चाहिए, कृपया अभी तक हमारा आवेदन पहुंचाने की कृपा करें,

प्रश्न,-10= मदर डेयरी पटपड़गंज दिल्ली-110092, पिलखुवा प्लांट का मालिक मदर डेयरी, इटावा प्लांट का मालिक मदर डेयरी, लोनी टोनिका सिटी प्लांट मदर डेयरी, मंगोलपुरी फ एंड बी, फूड एंड वेजिटेबल प्लांट का मालिक मदर डेयरी, जूनागढ़ प्लांट का मालिक मदर डेयरी, मोतिहारी प्लांट का मालिक मदर डेयरी, मेरठ परतापुर प्लांट का मालिक मदर डेयरी, बल्लभगढ़ पॉलिटेक प्लांट का मालिक मदर डेयरी, करनाल प्लांट का मालिक मदर डेयरी, जूनागढ़ प्लांट का मालिक मदर डेयरी, अन्य इत्यादि प्लांटों के मालिक मदर डेयरी, और मदर डेयरी का मालिक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मालिक, भारत सरकार, क्या आप इस सब से सहमत हैं या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त कराई जाए,

प्रश्न -11= राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष है, जबकि मदर डेयरी के समस्त प्लांट समस्त यूनिट के कर्मचारियों की रिटायरमेंट 58 वर्ष पर है, ऐसा क्यों है एक देश एक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा इस प्रकार का दोहरा रवैया क्यों, कृपया इसकी जानकारी मुहैया कराई जाए,

प्रश्न -12= अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों की जगह अगर समस्त आर्थिक पीड़ित कर्मचारी स्ववर्ण जाति से होते तो क्या उनको भी न्याय देने में या उनके साथ भी आर्थिक अत्याचार संभावित था, और जितने भी जाति के नाम पर वोट मांग कर मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, एम पी,एम एल ए ,पार्षद निगम पार्षद अनुसूचित जनजाति के आयोग अध्यक्ष अपने समाज के लोगों का भला करने के लिए उचित कार्रवाई बिना विलंब के क्यों नहीं करते क्या आपका मकसद केवल सिंहासन ओ तक पहुंचने का ही है यदि ऐसा है तो, सभी अपने चुनावी घोषणा पत्र में एकदम स्प्रेर्स्ट क्यों नहीं कहते, के कोई भी समाज का व्यक्ति हमारे पास किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराएगा और हमारे सुख शांति में किसी भी प्रकार का विगान या परेशान नहीं करेगा, हमारा उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना है ना की लोगों के दुखड़े दूर करना, यदि ऐसा नहीं है तो कृपया स्थिति स्पष्ट करें और जानकारी मुहैया कराएं,

प्रश्न -13= माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 27/4 /2010 दैनिक भास्कर अखबार में छपी सूचना के आधार पर दलितों को मंदबुद्धि बताया गया है, उस समय आप प्रधानमंत्री नहीं थे किंतु आज आप प्रधानमंत्री हैं, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस प्रकार की सोच रखते हैं तो आखिर दलित समाज का भला कौन करेगा न्याय कौन देगा और न्याय के लिए हम किस प्लेटफार्म पर बात कर सकते हैं, हो सकता है आज सभी प्रकार के न्यायालय में विलंब का कारण यही हो सकता है, जिसकी प्रतिलिपि मैं साथ में लगा रहा हूं, कृपया इसकी जानकारी मुहैया कराई जाए,

प्रश्न -14= अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम किया था, और अखबार द्वारा मिली सूचना के आधार पर, मन की बात कार्यक्रम सुनने नहीं पहुंचे छात्रों पर ₹100 का जुर्माना लगाया गया जो कि स्कूल प्रशासन को छात्रों द्वारा जमा करना था, अगर देश में माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात ना सुनने पर बच्चों को दंडित कर सकते हैं, तो जो भी सांसद जनता की बात ना सुनने पर जनता के आवेदन पत्र पर उचित कार्यवाही ना करने पर किसी भी पत्र का जवाब ना देने पर, कौन सा दंड निर्धारित करेंगे उस की प्रतिलिपि आपको साथ में सलंगन कर रहा हूं, क्या आप सभी सांसदों को पंडित कर सकते हैं कृपया इसकी जानकारी मोहिया कराई जाए,

प्रश्न -15= सी ए जी रिपोर्ट का दावा मार्च 2017 तक मोदी सरकार ने 19 मंत्रालयों में गड़बड़ियों के या घोटालों के 78 मामले दर्ज हुए, यदि सीएजी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट सत्य है तो जब बड़े-बड़े मंत्रालय में

घोटाले और गड़बड़ियां होंगी तो देश की जनता को पीड़ितों को न्याय कौन देगा कृपया इसकी जानकारी मोहिया कराई जाए,

प्रश्न -16= शासक दुराचारी ठग और अपराधी हो सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है किंतु प्रशासक न्यायधीश बेईमान होंगे शासकों के गुलाम होंगे डरपोक होंगे तो यह भयावह स्थिति है किसी भी राष्ट्र राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि प्रशासन को तो पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ अपने पद की अनु पालना करनी चाहिए और अपने देश और देश की जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जनता को न्याय देने के लिए निष्पक्ष उचित कार्रवाई करनी चाहिए पदों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, यदि ऐसा नहीं है तो किसी भी मुद्दे पर न्याय मिलने में विलंब क्यों और क्या हर घटना के लिए हर परेशानी के लिए, केवल एक मात्र न्यायालय ही है, और यदि यदि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र संसद भवन द्वारा न्याय नहीं मिलता है तो न्यायालयों में न्याय कैसे मिलेगा कृपया इसकी जानकारी मोहिया कराई जाए,

प्रश्न -18= मदर डेयरी फूड एंड वेजिटेबल लिमिटेड, मदर डेयरी या एमडीएफ वी पी एल, और एन डी डी बी, डेयरी सर्विसेज एन डी एस, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एन डी डी बी, कि दो सहायक कंपनियां सूचना का अधिकार आर टी आई, अधिनियम के तहत आते हैं, और मदर डेयरी एक सरकारी कंपनी है, सरकार का कहना है कि यह केंद्रीय सतर्कता आयोग सी वी सी, के दायरे में आता है, राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का कहना है कि उसने एन डी डी बी, को एन डी एस, अपनी सहायक कंपनियों तक आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार करने की सलाह दी है, सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने मदर डेयरी की स्थिति और एनडी डी बी, द्वारा फंड के डायवर्जन पर सरकार की राय के बारे में सवाल पूछा था, राज्यसभा मंत्री डॉ बालियान में राज्यसभा में अपने लिखित उत्तर में कहा इस मंत्रालय ने 10 दिसंबर 2018 और 10 जुलाई 2019 के पत्र के माध्यम से एक विचार लिया है और एन डी डी बी, बोर्ड से अनुरोध किया है, जिसके पास एमडी एफ वीपी एल, मदर डेयरी के 100% शेयर हैं, सी आई सी और दिल्ली उच्च न्यायालय के 15 अप्रैल 2011 और 2 फरवरी 2015 के आदेश को स्वत : संज्ञान लेते हुए पारदर्शिता, जवाबदेही, और उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने के हित में मदर डेयरी के निर्णय को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए, इस संबंध में एन डी डी बी के बोर्ड की प्रतीक्षा की जा रही है, आज तक लगभग सभी ने केवल डाक घर का काम किया है पत्रों को इधर से उधर स्थानांतरित करने का, यदि किसी ने हमारे प्रति कोई कार्यवाही करी है और न्याय के लिए कोई आदेश जारी करा है तो कृपया उसकी प्रतिलिपि मुहैया कराई जाए,
विशेष अनुरोध: हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना व्यक्तिगत रूप से किसी पर उंगली उठाना या द्वेष भावना ओ रखना नहीं है, अपितु हमारा उद्देश्य केवल न्याय पाना है, यदि लेखनी में किसी शब्द में कोई कलारिकल गलती हो गई है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे,

तुलसी तुलसीदास जी का एक बहुत मशहूर दोहा इस प्रकार है, के जानत है मानत नहीं,
लानत ऐसी जिन तुलसी या संसार को लगा मोतियाबिंद,
साहेब मृत्यु सबकी निश्चित है मरना सबको है यदि हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते न्याय नहीं दे सकते तो बुरा करने का या अन्याय करने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है,

धन्यवाद

प्रार्थी विनोदकुमार 12/7/2023

विनोद कुमार
मकान नंबर,सी,143, गोकुलपुरी
शाहदरा दिल्ली,110094
9868707078 , 8383953576